न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 50/2022 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
विशनाराम पुत्र कोशलाराम जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. गुमनाराम पुत्र कौशलाराम 3. केशराराम पुत्र कौशलाराम जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव, जिला बाडमेर 4. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 – श्री जेठाराम कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 26.02.2024

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा हनुमानपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1007/930, 930/858, 937/858 रकबा क्रमशः 0.1052, 1.9101, 1.2545 हैक्टेयर तथा मौजा राजबेरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 852/336 रकबा 2.9461 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आरजी के विरासती नामांतरकरण से राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच किये ही वादी का नाम वेहनाराम पुत्र कोशलाराम अंकित कर दिया गया जबकि वादी का सही एंव वास्तविक नाम विशनाराम पुत्र कोशलाराम है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि में उसका सही एवं वास्तविक नाम विशनाराम पुत्र कोशलाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वेहनाराम पुत्र कोशलाराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र कोशलाराम नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए वादी का नाम वेहनाराम पुत्र कोशलाराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र कोशलाराम किया जाना उचित बताया गया है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा अपना वास्तविक नाम विशनाराम पुत्र कोशलाराम होने के समर्थन में दस्तावेज यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेज पेश किये गये।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम वेहनाराम पुत्र कोशलाराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र कोशलाराम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के

Scanned with OKEN Scanner

...रा पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार नाम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम वेहनाराम पुत्र कोशलाराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी आदि में वादी का नाम विशनाराम पुत्र कोशलाराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम वेहनाराम पुत्र कोशलाराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र कोशलाराम किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम वेहनाराम पुत्र कोशलाराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र कोशलाराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हनुमानपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1007/930, 930/858, 937/858 रकबा क्रमशः 0.1052, 1.9101, 1.2545 हैक्टेयर तथा मौजा राजबेरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 852/336 रकबा 2.9461 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम वेहनाराम पुत्र कोशलाराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र कोशलाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner